

कार्यालय नगर परिषद खिरकिया जिला – हरदा

क्र. 464 / लोनि.शाखा / न.पं. / 2026-27

खिरकिया दि. 11/05/26


–: ऑनलाईन आमंत्रण सूचना :-

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद खिरकिया में निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 15/05/2026 (10.00) से दिनांक 16/06/2026 (12.30) तक क्रय कि जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

क्र.	एनआई टी नं	टेण्डर आई.डी. नंबर	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रुपये		अमानत राशि (EMD)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
						PAC	GST			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			वार्ड क्रं. 14 बहीद टेलर के मकान से महाराणा प्रताप चौक तक बड़ी नाली निर्माण कार्य।	न.प. / मद	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	12,06,548	2,17,178	9049	2000	02 माह

नियम तथा शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन की होगी।
2. निविदाकार/फर्म का पंजीयन, ईपीएफ पंजीयन, जीएटी पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. निविदा में अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा/डेबिट कार्य, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. अन्य शर्त कार्यालय के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
5. निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
6. संपादक की ओर अपने समाचार पत्र में विज्ञापित कम से कम स्पेश प्रकाशित करने का कष्ट करे।


मुख्य सहायक नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद खिरकिया

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./नाली/2026/ 13

नर्मदापुरम्, दिनांक - 7/5/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद् खिरकिया,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 14 में वहीद टेलर के मकान से महाराणा प्रताप चौक तक नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- Project Approval No. PA-0320-26-000000016 Project No. SP1-EN2-0320-26-982.

-----//-----


विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 14 में वहीद टेलर के मकान से महाराणा प्रताप चौक तक नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Existing नाला/नालियों का लेबिल चेक किया जावे, जिससे निर्माण के उपरान्त पानी निकासी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, साथ ही डिस्चार्ज के अनुसार नाली का सेक्शन निर्धारित किया जावे। रोड़ के किनारे नाली इस प्रकार निर्मित की जावे जिससे रोड़ के पानी की निकासी नाली के माध्यम से हो सके।-निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से करवाने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्र. 14 में वहीद टेलर के मकान से महाराणा प्रताप चौक तक नाली निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील (जी.एस.टी. 18 प्रतिशत)	12,06,548.00
			कुल योग	2,17,178.00
				14,23,727.00

शर्तें-

- 1.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 2.तथ्यो को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
- 3.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 4.निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
- 5.भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- 6.बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
- 7.निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 8.उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइड/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यो को छुपाने पर प्राप्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
- 9.सी.पी.डब्ल्यू .डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉक्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्धारित आवृत्ति अनुसार परिक्षण कराया जावे। संतोषजनक परिक्षण परिणाम प्राप्त होन पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे।
- 10.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 11.सीमेन्ट, कॉक्रीट एवं आर.सी.सी .नाली निर्माण में स्टील सेन्ट्रिंग का उपयोग किया जावे। कॉक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे।
- 12.निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे , तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- 13.आर.सी.सी .नाली/नाला की स्ट्रक्चरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शासकीय पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता से कराया जावे। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा

14. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहूत की जाना सुनिश्चित करें।
15. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
16. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
17. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
18. निर्माण कार्य की लागत राशि रु .25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
19. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
20. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
24. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
25. निर्माण कार्य निजी/अवैध कालोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
26. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
27. ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
28. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नायिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
29. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
30. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
31. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
- संलग्न- उपरोक्तानुसार।


कार्यपालक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0320-26-0000000013	Work: WN 14 BADI NALI NIRMAN VAHID TAILAR KE MAKAN SE MAHARANA PRATAP CHOUK TAK
ULB: 0320 (Khirkiya Nagar Parishad)	Demand ID: DM-0320-26-0000000013
Department: Public Works	PAC: 1206548.53
Project No.:	Gross: 1423727.26

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Lang th	Brea dth	Dept h	Volu me	Are a	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remar ks
1	NVI-12.1.2.1	up to 3 m depth		1.0	275.0	0.9	1.1	272.25			272.25	M3	119.0	32,397.75	18.0	38,229.35	
1	NVI-13.5.1	PCC Grade M15		1.0	275.0	0.9	0.1	24.75			24.75	M3	4793.0	118,626.75	18.0	139,979.57	
1	NVI-13.5.5	RCC Grade M20		2.0	275.0	0.2	0.75	41.25			82.5	M3	5383.0	444,097.50	18.0	524,035.05	WALL
1	NVI-13.5.5			1.0	275.0	0.9	0.2	49.5			49.5	M3	5383.0	266,458.50	18.0	314,421.03	BASE
1	NVI-13.5.5			6.0	5.5	0.9	0.2	0.99			5.94	M3	5383.0	31,975.02	18.0	37,730.52	SLAB ROAD CROSSING
1	NVI-13.6.1	FE 500		4.5							4.5	MT	69554.0	312,993.00	18.0	369,331.74	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	WN 14 BADI NALI NIRMAN VAHID TAILAR KE MAKAN SE MAHARANA PRATAP CHOUK TAK	1,206,548.52
Total PAC		1206548.53

GST: 217178.73
Gross: 1423727.26